# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 159/2022

राजेश कुमार पुत्र श्री भूपसिंह जाति बिश्नोई निवासी मकान नं. डी–3 सरस्वती नगर, जोधपुर जरिये मुख्त्यारआम मनोज बंसल पुत्र श्री वेद प्रकाश बंसल निवासी 88 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. सरिता पत्नी श्री रिपुदमन सिंह जाति बिश्नोई निवासी मकान नं. 1, सरस्वती गार्डन, दुर्गेश पैलेस के सामने, चक 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. निशांत सिंह पुत्र श्री रिपुदमन सिंह जाति बिश्नोई निवासी मकान नं. 1, सरस्वती गार्डन, दुर्गेश पैलेस के सामने, चक 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

– –अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजन कुक्कड़ अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग – – अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :–22.11.2024

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 11/3 में 0.0800 है. बाग, किला नं. 11/50.0080 है. खाला, किला नं. 11/7 में 0.1320 है. बाग, किला नं. 11/90.0050 है. खाला, किला नं. 20/3 में 0.0423 है. नहरी, किला नं. 20/4 में 0.0050 है. खाला कुल 0.8823 हैक्टेयर नहरी मय खाला बाग राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज है जिसका नामांतरण दिनांक 12.12.2022 एवं 15.2.2023 को दर्ज हो चुका है। नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत 2073–2076 साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 1/3 में 0.1930 है. नहरी, किला नं. 1/4 में 0.0220 है. खाला, किला नं. 2/2 में 0.1630 है. नहरी, किला नं. 8/2 में 0.0510 है, नहरी, किला नं. 9 में 0.2530 है. बाग, किला नं. 10/1 में 0.2280 है. बाग, किला नं. 10/2 में 0.0250 है. खाला, किला नं. 11/4 में 0.1480 है. बाग, किला नं. 11/6 में 0.0170 है. खाला, किला नं. 12/2 में 0.1650 है बाग कुल 1.2650 हैक्टेयर नहरी मय खाला बाग राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सरिता के नाम दर्ज है। नकल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मौजूदा जमाबंदी सम्वत 2073–2076 साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को अपने मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 11 में व 20 के आधा में आने जाने के लिए मुख्य सड़क दुर्गेश सिनेमा रोड़ पर मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 1/3, 1/4, 10 में से होकर प्रार्थी अपनी भूमि जो किला नं. 11 व 20 में है, में प्रवेश करता है। वर्तमान में किला नं. 1/3, 1/4 तथा किला नं. 10 तथा प्रार्थी के रकबा किला नं. 11 व 20 में से रास्ता चालू है जो पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित है । यह रास्ता चालू करने के लिए प्रार्थी की भूमि किला नं. 11 व 20 की अनाधिकृत रूप से अप्रार्थी सरिता एवं निशांत द्वारा भूमि ली गई है। अप्रार्थीगण इस मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 1/3, 1/4 तथा किला नं. 10 में चालू रास्ता में अवरोध कारित करते है तथा प्रार्थी की भूमि को रास्ता न होना बताकर कम कीमत पर खरीदना चाहते थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अनाधिकृत रूप से रास्ते के दुर्गेश सिनेमा रोड़ की तरफ जाने के लिए एक लौहे का दरवाजा लगा दिया है और उसे अपनी मर्जी से ताला लगाकर बंद कर देते है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। चालू रास्ते को चालू रखने के लिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में इसे स्वीकृत रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है जिससे भविष्य में अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध ढंग से रास्ते को उपयोग व उपभोग करने में व्यवधान कारित न करे। पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा सहमति से अपनी–अपनी जमीन देकर रास्ता सांझा रखा गया था जिसका उपयोग दोनों पक्षकार कर रहे है तथा दोनों पक्षों ने अपने खाता को तकसीम करवाते समय अप्रार्थी द्वारा रास्ता को चालू रखने का आश्वासन दिया गया था और इसी आश्वासन के आधार पर रास्ते के लिए प्रार्थी द्वारा भी अपनी भूमि में से आधी भूमि दी गई थी परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के जोधपुर निवास करने का लाभ उठाकर आधी भूमि से अधिक लगभग 30 फीट भूमि रास्ते के लिए शामिल करते हुए रास्ता बनाया गया है। प्रार्थी का रास्ते के संबंध में अप्रार्थीगण से ही विवाद है तथा रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण रास्ते का आने–जाने के लिए उपयोग व उपभोग कर रहे है। किसी अन्य खातेदार से कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से कहा कि उक्त रास्ता जो मौके पर चल रहा है उसको आप मंजूर करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के सक्षम सहमति के ब्यान कर दो ताकि राजस्व रिकॉर्ड में यह रास्ता दर्ज हो जावे। पहले तो वह आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो उक्त चालू रास्ता को मंजूर नहीं करवाना चाहते है ओर न ही आपको रास्ता देना चाहते है, तुम्हें जो करना है, सो करो बस यही बिनाय काउंटर क्लेम है जो प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ हासिल हुआ है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समय अवधि में समुचित कोर्टफीस पर पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 1/3, 1/4 तथा किला नं. 10 में पत्थर लाईन के साथ प्रत्येक में 0.0250 है. कुल 0.0500 है. रास्ता मंजूर फरमाया जावे। प्रार्थी इस रास्ता की ऐवज में डीएलसी की दुगुनी राशि देने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश नहीं कर प्रकरण में बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की सहमति पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि के लिए रास्ता चाहा गया है व राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम है एवं जिस भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाना है वह भूमि भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जब प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तो राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अतः प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– [Citation : 2009(1) DNJ (Raj.) 410] पेश किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि के लिए रास्ता चाहा गया है वह व्यवसायिक भूमि है। जिसके लिए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। राजस्व न्यायालय केलव कृषि भूमि के लिए 251 ए आर.टी.ए. में नया रास्ता स्वीकृत कर सकता है। जिसके लिए मौका देख कर निर्णय किया जा सकता है।

**प्रकरण में न्यायनिर्णन हेतु दिनांक 07.11.2024 को मौका देखा गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।**

**वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।** प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और वैकेल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर विचार किया जाता है। प्रकरण में मौका निरीक्षण किया जा चुका है। मौका पर कृषि भूमि न होकर कॉलोनी कटी हुई है एवम् मौका पर आबादी बसी हुई है। प्रार्थी द्वारा जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है वह भूमि कृषि भूमि न होकर मौका पर कॉलोनी कटी हुई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि के मालिकाना हक को लेकर सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसमे स्थगन आदेश जारी है। इस प्रकार प्रार्थी का मालिकाना हक ही विवादाग्रस्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधानानुसार रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

## –:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार योगय नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner